रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 540] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 1985/अग्रहायण 22, 1907
No. 540] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 13, 1985/AGRAHAYANA 22, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1985

अधिसूचना

सं. 247/85-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 902(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 23क की उपमद (5) के अंतर्गत आने वाले चश्मे के शीशे के ब्लैंकों को, जिसके अंतर्गत फिनिश्ड बटन भी हैं, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 1986 तक, जिसमें यह दिन भी है, प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. 332/29/85-टी आर यू]
गौतम रे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th December, 1985

NOTIFICATION

No. 247|85-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 902(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rough ophthalmic glass blanks including flint buttons, falling under sub-item (5) of Item No. 23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 30th day of November, 1986.

[F. No. 332|29|85-TRU.]

GAUTAM RAY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985